मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 5/02/2024

क्रमांक: एफ 1/1/0217/2023-Sec-1-38(HED) :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1/1/4/0012/2023/38-1, दिनांक 28.08.2023 के सरल क्र. 4 पर अंकित डॉ जुडिका कुजूर, सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मंडला का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर करते हुए शासकीय आदर्श महाविद्यालय, डिण्डौरी में पदस्थ किया गया।

2/ विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ कुजूर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्र. डब्ल्यू पी 22489/23 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5 सितंबर, 2023 का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

Considering the aforesaid, the present writ petition is disposed of wit h the direction that, if the petitioner prefers a representation before respondent No.1 within a period of 7 days, the respondent No.1 shall take a decision thereon, within a further period of three weeks by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

It is made clear that if the fresh representation along with the certified copy of this order is not produced within 7 days from today, this order shall lose its efficacy automatically. For a period of 30 days or till the decision on petitioner's representation (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue at her present place of posting i.e. Government Rani Durgawati Mahavidyalaya, Mandla, provided no one has already joined in her place.

3/ माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में डॉ कुजूर द्वारा विभाग में आवेदन प्रस्तुत करते हुए निम्न बिंदुओं को उल्लेख करते हुए स्थानांतरण आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है :-

क्र.	स्थानांतरण निरस्त किए जाने के बिंदु	विभागीय अभिमत
1	मेरे पति जिला सहकारी मर्यादित बैंक मंडला में पदस्थ है।	स्थानांतरण नीति की कंडिका-23 में प्रावधान है कि "पति-पत्नि के स्व्यं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण हो सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यक्ता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति-पत्नि यदि एक ही जिले/मुख्यालय में कार्यरत है तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

2	मै स्वयं स्पाईनल डिस्क प्रोलेप्स L4L5 से ग्रसित हूँ। जिसका उपचार एवं फिजियो थेरेपी मंडला हास्पिटल में चल रहा है।	डॉ. कुजूर द्वारा बीमारी के संबंध प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए है किंतु जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3	मेरे साथ मेरे वृद्ध पिता भी रहते है, जो अस्वस्थ्य रहते है। उनकी देखभाल का दायित्व मुझ पर है।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं।
4	मै विगत 2011 से इस महाविद्यालय में पदस्थ हूँ मेरे द्वारा अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया जाता रहा है। विभाग में विद्यार्थियों की संख्या (बीएससी बायो) 1300 है एवं इसी वर्ष विद्यार्थियों की लंबे समय से एमएससी की कक्षाओं की मांग को देखते हुए जनभागीदारी मद से शुभारंभ किया गया।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं।

4/ डॉ. जुडिका कुजूर, सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मंडला में दिनांक 26.06.2010 से पदस्थ है। डॉ. कुजूर का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. जुडिका कुजूर, सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मंडला द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4-3-24

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक: एफ 1/1/0217/2023-Sec-1-38(HED) भोपाल, दिनांक 5 /02/2023

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर,

5. जिला कोषालय अधिकारी, डिण्डौरी,
6. प्राचार्य, शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मंडला,
7. प्राचार्य, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, डिण्डौरी,
8. संबंधित डॉ जुडिका कुजूर, सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, मंडला,
9. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग